



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मनन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0बजट-23/2017-123 (दिनांक : २२/९/१७)

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल रु0 794.238 लाख (सात करोड़ चौरान्चे लाख तेर्झस हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2017-23/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-33/2017- 59/आ0 व0प0 दिनांक 09.08.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु 794.238 लाख (सात करोड़ चौरान्चे लाख तेर्झस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101580103	480.070
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101580323	314.168
कुल :-		794.238

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 (क) से (ग) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी० 19S240601101580103 तथा पी० 19S240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/ करों, विनियम दरों/ अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉची

की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनात्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनात्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-23/2017-1236 दिनांक- 22/9/17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-23/2017-1236 दिनांक- 22/9/17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ गोड्डा/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल देवघर	100.00	31.496	22.801	54.297
2	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	200.00	62.993	45.603	108.596
3	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	25.00	7.874	5.700	13.574
4	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	300.00	94.489	68.404	162.893
योग :-		625	196.852	142.508	339.360

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल देवघर	150	70.005	40.460	110.465
2	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	100	46.670	26.973	73.643
3	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	90	42.003	24.276	66.279
4	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	100	46.670	26.973	73.643
योग :-		440	205.348	118.682	324.030

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	100	38.935	26.489	65.424
2	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	100	38.935	26.489	65.424
योग :-		200	77.870	52.978	130.848
सकल योग :-		1265	480.070	314.168	794.238

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(अ) वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90							
1	संवेदन एवं सीमांकन	हेक्टेक्टर	3	689.70	0.00	689.70	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेक्टेक्टर	7	1609.30		1609.30	
2.2	कटबेक / कॉपरसेंग, वलाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हेक्टेक्टर	10	2299.00		2299.00	
3	धेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेक्टेक्टर	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हेक्टेक्टर	22	5057.80		5057.80	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंट्रू आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेक्टेक्टर	45	10345.50		10345.50	
6	अंश पौधशाला कार्य रासी प्रहरी सहित	हेक्टेक्टर	10	2299.00		2299.00	
7	सामग्री (पॉलिथीन थेटी, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)	हेक्टेक्टर		0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साइन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेक्टेक्टर		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश विन्दु कार्य	हेक्टेक्टर	28.00	6437.20	9518.75	15955.95	
योग :—			137.00	31496.30	22801.49	54297.79	

अनुलग्नक-2 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी. x 2 मी.)

क्रम	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(अ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए							
1	संवेदन एवं सीमांकन	हेक्टेक्टर	3.00	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हेक्टेक्टर	7.00	1609.30	0.00	1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेक्टेक्टर	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेक्टेक्टर (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हेक्टेक्टर	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हेक्टेक्टर	16.50	3793.35	0.00	3793.35	

क्रम	प्रथम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग—120, कंटूर ट्रैच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिटटी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	12644.50	0.00	12644.50	
8	सिल्ट डिटेशन डेम, घेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	5747.50	0.00	5747.50	
9	गली प्लगिंग	हे०	10.00	2299.00	0.00	2299.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य		38.00	8736.20	12800.40	21536.60	
योग :-			203.00	46669.70	26973.14	73642.84	

अनुलग्नक-2 (ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे
 पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
							यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य ज्ञाड़ी	हे०	7	1609.30		1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 घेन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्य० मी० 2500 पीट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	55	12644.50	0.00	12644.50	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	10	2299.00		2299.00	
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हे०	25	5747.50		5747.50	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिटटी पुवाल, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	3375.00	3375.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साइन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०	57.00	13185.70	11181.45	24367.15	
योग :-			169.00	38934.50	26489.19	65423.69	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 सामुख्य, राजी

अन्तर्गत अवकृष्ट चनों पर वृक्षारोपण का अधिग्रह कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमाणित का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	धान/ धाना नं०	स्थल/ ग्राम का नाम	खाँड संख्या	रकम (₹०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	xi
1	देवधर	देवधर वन प्रमाणित,	मू-संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर	मधुपुर-27, 26	लम्बा, जरवाटाड	12, 13, 1, 175, 195, 240	20	20
		देवधर	प्रदेशिक प्रक्षेत्र, देवधर	मधुपुर-632, 633	कामलकरडीह, कोचता पहाड़ी	235, 243, 276, 279, 663	20	20
			मू-संरक्षण प्रक्षेत्र, देवधर	सारवां-24	धोरपास	3, 1, 4, 6, 2/143, 2/142, 137	25	25
				देवधर-45	लकुआमारा	3, 19	15	15
				देवधर-356	तिलेया		20	20
गो-डडा								
2	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमाणित,	गोड्डा वन प्रक्षेत्र	करमाटाड-09	करमाटाड	1221, 1224 एवं अन्य	30	30
		गोड्डा	बोआरीजोर वन प्रक्षेत्र	बोआरीजोर-32	पहाड़पुर	1	80	80
			चुन्दरपहाड़ी वन प्रक्षेत्र	चुन्दरपहाड़ी-3	कुमुमथाटी	134, 2, 150	50	50
				चुन्दरपहाड़ी-11	कुमाहा	1918, 1928, 1924, 1921, 1902, 1912	30	30
				चुन्दरपहाड़ी-10	डमरहाट	909, 919, 924, 934, 935, 939, 940, 942, 943, 961	10	10
3								
3	देवधर	सामाजिक वानिकी प्रमाणित, देवधर	साठवां प्रक्षेत्र, सारठ	सारठ-643	भूती	186, 38पी०, 94पी०	25	25
चो-गा-								
4	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमाणित, दुमका	साठवां प्रक्षेत्र, दुमका	संस्थायाहट	हेटोनीनपरा	428	30	30
				मसलिया	नामीमहल	51, 59, 90, 308, 475, 477, 489	20	20
				रामामिसिलया-03		85, 87, 91, 344, 406, 595		
				जामा	ठेकहा	4, 62, 43, 34, 64, 761	25	25
				फुलझरी-11	बादो	81, 99, 12, 93, 09, 67, 943		
				फुलझरी-12	पिपरा			
				काठीकुण्ड	अमडीह-20	46, 16, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 404, 426, 429, 430	50	50
				काठीकुण्ड-09	धनियापहाड़ी	127	40	40
				मसनिया-10		1, 79, 199		
				नारागज-59	तुकीडगाल	121, 62, 34, 32	30	30
				नारागंज-60	धाटबोडा	12, 15, 111	25	25
				नारागज-53	कुतलकाट	154, 151, 28, 551	20	20
				गोपीकान्दर	ओरसो	2, 27, 248, 169, 267, 400, 428, 246	35	35
				कुस्थीरा-20	गुम्भापहाड़ी	5, 44, 233	25	25
चो-गा-								
सकल चो-गा-								
							200	200

अपर प्रधान मंत्री वा संरक्षक विकास जारीकर्ता, राँची।

चो-गा-

625

300

अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अधिगम कार्य का स्थल विवरणी।

अनुलानक-2

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/ थाना नं०	स्थल/ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रक्खा है० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	देवधर	देवधर वन प्रमङ्गल,	प्रादेशिक प्रक्षेत्र,	सारया-298	पावे पहाड़		1 पी०	35
		देवधर	देवधर	देवधर-467	ठरियारा		14, 28	15
			भू-संरक्षण प्रक्षेत्र,	देवधर-93	तुठमारनी		2, 12, 16, 31, 35, 39	25
			देवधर	मधुपुर-322	जगतपुर		322 ए०	35
				मधुपुर-322	वमुलिया		34, 289, 284	40
ग्राम :-								
2	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमङ्गल,	गोड्डा	सुन्दरपहाड़ी-4	तसरिया		2, 198	30
		गोड्डा		गोड्डा-545	वासिस्टांड		874	20
			बोआरीजार	सिनरा-510	बड़ा खैरबनी एवं तुती बहियार		171, 184, 467, 1, 119	20
				सुन्दरपहाड़ी-25	बाबुपुर		1, 153	20
				सुन्दरपहाड़ी-01	बरमसेया		58, 423, 397, 287, 417, 281, 340	10
ग्राम :-								
3	देवधर	सामाजिक चानिकी		मधुपुर-14	बरया	1587पी०, 113पी०, 1379पी०, 1391पी०, 1241पी०		35
		प्रमङ्गल, देवधर	साठवा० प्रक्षेत्र,	मधुपुर-49	दुबा नावाड़ी	468पी०		5
			मधुपुर	मधुपुर-46	ठाकुरियापहाड़ी	3पी०		5
				मधुपुर-51	नेपोडीह (अंश)	129पी०		15
			साठवा० प्रक्षेत्र,	सारवा०-446	मकरा पहाड़	1पी०, 608पी०		30
			देवधर					90
ग्राम :-								
4	दुमका	सामाजिक चानिकी	साठवा० प्रक्षेत्र,	सरैयाहाट	सहरामहरा-64	लखना	1, 2, 23, 269, 270	30
		प्रमङ्गल, दुमका	दुमका	मसालिया	चुटो-23	छोटपहाड़ी	19, 48, 90, 80, 28, 29, 832	35
			साठवा० प्रक्षेत्र,	कुरुक्षेत्र	भुधामहरा०-18	भुधामहरा०	284, 646	35
			काठीकुण्ड	गोपीकान्दर	कुष्ठरीसा०-19	कुष्ठरीसा०	635, 761	100
								40
सकल ग्राम:-								

अपर प्रधा
ज्ञारखड़, वन संरक्षक, विकास

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनमूमि पर वृक्षारोपण" योजना (पुरानी-मू-संरक्षण एवं चनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का अग्रण कर्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं	जिला का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/ थाना नं०	स्थल/ गाम का नाम	प्लॉट संख्या	रक्षा हेतु में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	गोड्डा प्रमण्डल, गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	गोड्डा वन प्रक्षेत्र	पोड्याहाट-204	बोहा	383, 1215, 1216	30
				पोड्याहाट-110	चतरा	1217	30
			बोआरीजोर वन प्रक्षेत्र	बोआरीजोर-47	बड़ा श्रीपुर	1194	15
			सुन्दरपहाड़ी वन प्रक्षेत्र	सुन्दरपहाड़ी-05	छोटा धमनी	11, 21, 61, 104, 127, 140 823	10 15
							100
					योग :-		
2	तुमका प्रमण्डल, तुमका	साठवां प्रक्षेत्र, तुमका	साठवां प्रक्षेत्र, जारुण्डी	महियानी-19 हरिपुर-21	आमजाड़ा धनमचीपा	63, 100, 200, 430 547, 522, 768, 769, 770, 772, 771	30 35
				मसलिया	संपचला-17 मोहल्लना	571, 576, 581, 634	35
				योग :-			100
				सकल योग :-			200

अपर प्रधान पुरुष अन संरक्षक: शिक्षा
शारथल, रांची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-23/2017/1236

दिनांक -

22-Sep-2

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	66044	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	10,150,100.00 रुपये एक करोड एक लाख पचास हजार एक सौ
2	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	66045	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	14,859,800.00 रुपये एक करोड अड़तालीस लाख उनसठ हजार आठ सौ
3	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	66046	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	4,987,700.00 रुपये उनचास लाख सित्यासी हजार सात सौ
				29,997,600.00


योगः:


क्रमिक योगः:

रुपये दो करोड निम्नान्वय लाख सित्तान्वय हजार छ: सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
ADDI.PROP.DIV. OF DGR
RANCHI

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101580103	66048	DMKFOR003	18,009,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NAND KISHOR SHARMA	रुपये एक करोड अस्सी लाख नौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		(S.F.S)	हजार चार सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
5	S 19 240601101580323	66050	DGRFORE88	6,326,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MAMTA PRIYADARSHI	रुपये तीरसठ लाख छब्बीस हजार
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		DFO	एक सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DEO, FOR, DIV, DEO.	
	03 - प्रशासनिक व्यव			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
6	S 19 240601101580323	66051	GDDFOR164	9,906,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAM BHARAT	रुपये निन्नानवे लाख छ: हजार पाँच
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		DFO GODDA FOREST	सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DIVISION	
	03 - प्रशासनिक व्यव			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
				34,242,000.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये छ: करोड बयालीस लाख उनचालीस हजार छ: सौ			64,239,600.00


 (SHRI SATNAM SINGH)
 ADDT. P.P.O. RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101580323	66052	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	2,997,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये उन्तीस लाख सित्तान्वे हजार रु. सौ
8	S 19 240601101580323	66053	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	12,186,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये एक करोड इक्कीस लाख बियासी हजार रु. सौ
योग:				15,184,200.00
क्रमिक योग:				79,423,800.00
 (SHRI SATNAM SINGH ADD: P.B.D. DEPARTMENT OF FOREST RANCHI)				